आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29/1/25		

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-102/2023-2024

चम्पु टोप्पो,.. आवेदिका।

बनाम्

रमेश गोप उर्फ रमेश राम,............................. विपक्षी।

आदेश

आवेदिका चम्पु टोप्पो, पति–स्व० बउला उराँव उर्फ मंगल उराँव, जाति–उराँव निवास ग्राम–तिरिल सरना टोली कोकर, पोस्ट–बरियातु, थाना–सदर, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदिका ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी भूमि पर विपक्षी रमेश गोप उर्फ रमेश राम, पिता–निरंजन गोप, निवास ग्राम–तिरिल सरना टोली कोकर, पोस्ट–बरियातु थाना–सदर, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
तिरिल	195	68	728	86 डी० मध्ये 04 कट्ठा

आवेदिका ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में मंगरा उराँव, वो चन्दा उराँव, पेशरान बिरसा उराँव, वो दुबलु उराँव वल्द पोडा उराँव, कौम–उराँव, शाकिन देह के नाम से दर्ज है। आवेदिका तुलसी उराँव की पुत्रवधु है, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदिका को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारंण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

M:- 29/1/25

कृ०पृ०उल्टे

29/1/25

आवेदिका अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि खतियानी रैयत मंगरा उराँव, वो चन्दा उराँव, पेशरान बिरसा उराँव, वो दुबलु उराँव वल्द पोडा उराँव, के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत बिरसा उराँव अपने पीछे तीन पुत्र मंगरा उराँव वो चन्दा उराँव वो दुबलु उराँव को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। मंगरा उराँव अपने पीछे बिरसा उराँव को छोड़ गये। बिरसा उराँव अपने पीछे तुलसी उराँव को छोड़ गये। तुलसी उराँव अपने पीछे बउला उराँव उर्फ मंगरा उराँव को छोड़ गये हैं। बउला उराँव उर्फ मंगरा उराँव अपने पीछे पत्नी चम्पु टोप्पो (आवेदिका) को छोड़ गये। चम्पु टोप्पो खतियानी रैयत के वंशज में आते हैं।

विपक्षी को वर्णित भूमि की नोटिस डाक के माध्यम से भेजी गयी है जो बिना तामिला के नोटिस वापस आया। तत्पश्चात समाचार पत्र के माध्यम से विपक्षी को नोटिस प्रकाशित किया गया। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात आवेदिका द्वारा वाद की कार्रवाई एकपक्षीय करने का आग्रह किया गया। वाद की सुनवाई एकपक्षीय करने हेतु आवेदन स्वीकृत किया गया। आवेदिका की ओर से एक स्वतंत्र गवाह मरियम केरकेट्टा, पति–स्व० विजय लोमगा को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाह न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान दिया है कि वर्णित भूमि पर विपक्षी गलत तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिए हैं। आवेदिका स्वयं चम्पु टोप्पो, पति–स्व० बउला उराँव उर्फ मंगरा उराँव की भी गवाही हुई है, जिसमें आवेदिका कहते हैं कि विपक्षी द्वारा मेरे जमीन को हड़प कर कच्चा मकान बना लिया है। तत्पश्चात आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा लिखित बहस दाखिल किया गया एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया।

आवेदिका के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी रैयत की है तथा आवेदिका की अपनी खतियानी जमीन है। विपक्षी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार है। आदिवासी रैयत की जमीन गैर आदिवासी को अहस्तान्तरणीय है।

29/1/25

कृ०पृ०उल्टे

29/1/25

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी रमेश गोप उर्फ रमेश राम, पिता–निरंजन गोप, निवास ग्राम–तिरिल सरना टोली कोकर, पोस्ट–बरियातु थाना–सदर, जिला–राँची मौजा–तिरिल, थाना नं०–195, खाता नं०–68, प्लॉट नं०–728, रकवा–86 डिसमिल मध्ये रकवा–04 कट्ठा पर अवैध रूप से दखलकार को बेदखल करते हुए, आवेदिका को जमीन वापस किया जाता है, तथा विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, बड़गाई को दखल–देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदिका सहित उनके वैध वंशजों को दखल–देहानी सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

29/1/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

29/1/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः–67 (ii) दिनांकः–27/2/25

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, बड़गाई राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

27/2/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.03.07 16:47:14 +05:30
Location: 192.168.123.39